

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
रा०८०८(बजट-आवंटन-2225)-09-57/2025- 309

प्रेषक,

प्रियंका रानी, गा०प्र०सेवा
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
नालन्दा।

पटना, दिनांक 25/02/2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय अन्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति ईकाई मद में
₹98,264/- (अठान्चे हजार दो सौ चौसठ रु०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत सृजित स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों यथा उपनिदेशक, कल्याण एवं उनके कार्यालय में सृजित स्थायी अराजपत्रित पदों, जिला कल्याण पदाधिकारी, अनुगंडल कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक, सांख्यिकी सहायक, टंकक, ग्रेन गोला चौकीदार, लिपिक सह लेखापाल, चालक, बपरासी तथा अनुगंडल कल्याण कार्यालय के स्थायी अराजपत्रित पदों के वेतन-भत्ता एवं अन्य मदों में पूर्व में विभागीय आवंटनादेश संख्या 04 दिनांक 02.04.2025, पत्रांक-36 दिनांक 24.04.2025, पत्रांक-111 दिनांक 10.07.2025, पत्रांक 147 दिनांक 04.08.2025, पत्रांक-154 दिनांक 18.08.2025, पत्रांक-190 दिनांक 23.09.2025, पत्रांक 209 दिनांक 16.10.2025, पत्रांक 211 दिनांक 05.11.2025, पत्रांक 231 दिनांक 18.11.2025, पत्रांक 238 दिनांक 04.12.2025, एवं पत्रांक 273 दिनांक 05.01.2026 एवं पत्रांक 307 दिनांक 10.02.2026 के द्वारा आवंटन दिया गया था। जिला कल्याण पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक 347 दिनांक 28.01.2026 के आलोक में श्री रवि कुमार राकेश, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण कार्यालय, नालन्दा सम्प्रति प्रतिनियुक्त जिला कल्याण कार्यालय, समस्तीपुर के पिता के चिकित्सा पर हुए व्यय कुल राशि ₹98,264/-- जिसकी अनुशंसा असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा के द्वारा दी गई है, के आलोक में चिकित्सा प्रतिपूर्ति ईकाई मद में कुल ₹98,264/- (अठान्चे हजार दो सौ चौसठ रु०) मात्र अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

2 कुल भारत व्यय राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय व्यय शीर्ष "2225-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण 01-अनु० जातियों का कल्याण 001-निदेशन और प्रशासन-0001-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयों-0001.0601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति गां० सं०-44 --बिपत्र कोड सं०- 44- 2225010010001 के उचित इकाईयों के अन्तर्गत विकलनीय है।

3 जिला स्तर पर जिला कल्याण पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4 वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17-4-98 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है। अतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त परिपत्र एवं समय समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्र /परिपत्रों के आलोक में आवंटित राशि का निकासी एवं व्यय करेंगे।

5 राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी का होगा। संबंधित पदाधिकारी प्रत्येक माह के अंत में व्यय विवरणी, टी०भी० नम्बर इत्यादि मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

6 इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

7 कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।


विश्वसिंहाजन,


निदेशक।

W

झापांक - स08डी0(बजट-आबंटन-2225)-09-57/2025-309 पटना, दिनांक-25/02/2026

प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
(2) वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
(3) प्रमंडलीय आयुक्ता, पटना/जिला पदाधिकारी, नालन्दा, अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमंडल, पटना/ उप निदेशक, (मु0) अनु0 जाति एवं अनु0 जाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग /बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


निदेशक।

झापांक - स08डी0(बजट-आबंटन-2225)-09-57/2025-309 पटना, दिनांक-25/02/2026

प्रतिलिपि : जिला कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


निदेशक।

W